संख्या-7 /2026/I/ 1235648/2026/23-10099(099)/7/2026

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ: दिनांक 11-02-2026**

विषय-जनपद ललितपुर में अन्तर्राज्जीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्ग पर गेट निर्माण योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य पर अवशेष 06 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-7817बी0जी0/07बी0/जी0एस0टी0-मांग प्रस्ताव/2025-26, दिनांक 13-10-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-473/2021/I/108272/2021/23-11002(002)/16/2021, दिनांक 21-10-2021 द्वारा जनपद ललितपुर के अधोलिखित 01 गेट निर्माण कार्य की कुल लागत रू0 114.91 लाख की प्रशासकीय एवं स्वीकृति प्रदान की गयी है। जी0एस0टी0 की दरे 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 होने के फलस्वरूप अधोलिखित गेट निर्माण कार्य की कुल धनराशि रू0 3.43 लाख की देयता उत्पन्न हुई है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	सी0एम0आई0एस0 पंजीकरण संख्या	मूल स्वीकृति	बचत (-)	जी0एस0टी0 की धनराशि (+)	पुनरीक्षित लागत
1	ललितपुर/ नि0ख0	जनपद ललितपुर में ललितपुर राजघाट मार्ग (अ0जि0मा0) पर गेट निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था कार्य	202600003100008	114.91	6.03	3.43	112.31
		योग-		**114.91**	**6.03**	**3.43**	**112.31**

अतः उक्त कार्य की कुल स्वीकृत मूल लागत रू0 114.91 लाख में बचत रू0 6.03 लाख को घटाने के उपरान्त लागत रू0 108.88 लाख से अधिक मांगी गयी जी0एस0टी0 की कुल धनराशि रू0 3.43 लाख जोड़ते हुए कुल लागत रू0 112.31 लाख की पुनरीक्षित की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य पर जीएसटी की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी। अवशेष धनराशि का भुगतान कदापि नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य पर जीएसटी की धनराशि के सम्परीक्षित लेखा प्राप्त कर अभिलेखों में संरक्षित किए जाय।

(3) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फडिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाय। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग का होगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृत कार्य जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। इससे इतर व्यय कदापि नहीं किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं०-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनाक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनाक 25-01-2011 के सलंग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारी की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

(7) प्रश्नगत कार्य पर जी०एस०टी० की धनराशि का भुगतान नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा तथा यदि पूर्व में कोई जी०एस०टी० की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित को किया गया है। तो उसका समायोजत सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जी०एस०टी० की धनराशि का भुगतान किया जाय। कार्य की लागत को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(8) प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(9) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदो के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-473/2021/I/108272/2021/23-11002(002)/16/2021, दिनांक 21-10-2021 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें।

2- उक्त कार्यों पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सडक निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1349-प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों/सेतुओं तथा मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु मार्गों के निर्माण चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-919-X-2025-26, दिनाक 10-02-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(5) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी।

(6) मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(7) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(8) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(9) सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।

(11) राज्य योजना आयोग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।

(12) अधीक्षण अभियंता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(13) लोक निर्माण अनुभाग-1/9/11/12 एवं 14, उत्तर प्रदेश शासन।

(14) नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लो०नि०वि०, उ०प्र० शासन।

(15) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

अभय प्रताप श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।